an>

title: Regarding payment of compensation to farmers by the Primary Cooperative Societies in the country.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना किसानों को उनकी खाद, डीजल व अन्य कृषि जरूरतों पर आवश्यकतानुसार धन कम ब्याज पर सरलता से उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। उक्त सहकारी समितियों का उद्देश्य यह भी था कि आर्थिक रूप से पिछड़ गए किसान भाइयों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा में लाना तथा आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शेष ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार 6.7 प्रतिशत का ब्याज उक्त समितियों को उपलब्ध कराती है। परन्तु उक्त समितियों द्वारा कृषि ऋण स्वीकृत करते समय कुल ऋण का 2.5 प्रतिशत बीमा प्रिमियम के रूप में किसानों के खाते से डेबिट कर दिया जाता है जिसके कारण सरकार द्वारा कम ब्याज दर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद किसान को ब्याज और बीमा के प्रिमियम के रूप में 5.5 प्रतिशत कृषि ऋण की सीमा के अनुसार अदा करना पड़ता है। इसके बावजूद किसानों को फसल बीमा का लाभ तभी मिलता है जब वह राजस्व नियमों के अनुसार फसल मुआवजे का हकदार होता है जबकि बीमा प्रिमियम का भुगतान किसान द्वारा व्यक्तिगत खाता धारक के अनुसार किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों के फसल बीमा हेतु व्यक्तिगत प्रिमियम लेने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से ही जब फसल का नुकसान हो तो व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी के अनुसार क्षति-पूर्ति की व्यवस्था की जाए अन्यथा प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा फसल बीमा हेतु लिए जाने वाले 2.5 प्रतिशत के प्रिमियम को समाप्त किया जाए क्योंकि यह शासन के उद्देश्यों, शासन की मंशा के विपरीत है। हम ब्याज के रूप में जो सब्सिडी देते हैं, उसका दुरुपयोग है और किसानों को अधिक भार पड़ता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।